<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.—193 / 15</u> <u>संस्थापित दिनांक—11.08.2015</u> Filling no-235103005012015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1— रामदयाल पुत्र उदेला अहिरवार उम्र 38 साल
- 2- बाबूलाल पुत्र उदेता अहिरवार उम्र 28 साल
- 3- माधौसिह पुत्र खिलुआ अहिरवार उम्र 30 साल
- 4— खिलुआ पुत्र नन्दा अहिरवार उम्र 60 साल निवासीगण — ग्राम ललोई चंदेरी

.....आरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 29.06.2017 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 324, 324/34, 323(4—शीर्ष), 323/34(4—शीर्ष), 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 02.07.2015 को समय रात 11 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ग्राम ललोई टांका स्थित लोक स्थल पर मां बहन की गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे परिवादी तथा अन्य को क्षोभ कारित किया एवं परिवादी/आहत रामलाल को फर्सा जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण मे परिवादी/आहत रामलाल को फर्से से स्वेच्छया उपहित कारित की तथा परिवादी/आहत रेखाबाई, समन्दर, बबीताबाई, रामरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित की, विकल्प अन्य अभियुक्त के साथ परिवादी/आहत रेखाबाई, समन्दर, बबीताबाई व रामरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत रेखाबाई, समन्दर, बबीताबाई व रामरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत रेखाबाई, समन्दर, बबीताबाई व रामरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत रेखाबाई, समन्दर, बबीताबाई व रामरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित की एवं परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 29.06.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण रामदयाल, बाबूलाल, माधौसिह, खिलुआ को भा.द.वि की धारा 294, 323(4—शीर्ष), 323/34(4—शीर्ष), 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी रामलाल ने घायल अवस्था में अपनी पत्नी रेखाबाई, भान्जे बहू रामरती, भतीजे समन्दर, बहू बबीता के साथ चौकी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि उसके चचेरे भाई भमरलाल व गाँव के खिल्लू अहिरवार का शाम 5-6 बे बकरी घर में घुसने पर झगडा हो गया था, इसी बात को लेकर आज दिनांक 02.07.2015 को रात 11 बजे रामदयाल अहिरवार उसे ध ार के पास आकर गाली दे रहा था और कह रहा था उसने भमरा को उनकी रिपोर्ट करने भेजा है। फरियादी ने कहा उसे तुम्हारे झगडे का मालूम नहीं है उसे गाली मत दो, तभी रामदयाल ने उसे फर्सा की मारी कपाट व सिर में लगी है चोट होकर खुन निकल आया। बाबूलाल व खिलुआ गाली देने लगे, बाबूलाल ने जांघ में लाठी मारी, उसे बचाने उसकी पत्नी रेखाबाई आई तो उसके रामदयाल ने लाठी मारी, भतीजे समन्दर ने बचाया तो रामदयाल ने उसे भी मारा, सिर में चोट लगी है। बहु बबीता बचाने पर उसे भी बाबूलाल, माधौसिह ने लाठी से मारा है, खिलुआ गन्दी-गन्दी गाली देकर बोल रहा था कि अगर रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे। घटना के समय बूढा यादव, भान्जा गोपाल, लडका रोहित व लडकी मोना भी थी उन्होने बचाया व घटना देखी। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफतार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.07.2015 को समय रात 11 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ग्राम ललोई टांका स्थित लोक स्थल पर परिवादी/आहत रामलाल को फर्सा जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत रामलाल को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत रामलाल को फर्सा जोकि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहित कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— विचारणीय प्रश्न क् 0 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी रामलाल अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है।

घटना करीब 2 साल पहले की होकर रात के समय की है। उसका आरोपीगण के साथ झगड़ा एवं गाली गलौच हो गई थी। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ झुमा झटकी की थी। झुमा झटकी में गिर जाने से उसे चोट आ गई थी। साक्षी रामलाल को बचाने उसकी पत्नी रेखाबाई, रामरितबाई, समन्दर, बबीताबाई आए थे, धक्का मुक्की में उन्हें भी गिर जाने से चोट आई थी। इसके अलावा और कोई घटना आरोपीगण ने उनके साथ कारित नहीं की थी। रामलाल ने रेखाबाई, रामबतीबाई, समन्दर, बबीता के साथ थुबोन चौकी जाकर उक्त रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके इलाज कराया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर मेरे बयान लिये थे।

07- अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी रामदयाल ने उसे घर पर आकर गाली दी थी और कह रहा था कि तुमने भमरलाल को मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने भेजा था। इस बात से इंकार किया कि उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी रामदयाल ने उसे फर्से से मारा था जिससे उसे कमर व सिर में चोट आई थी। इस बात से इंकार किया कि उसे आरोपी बाबूलाल ने लाठी से मारा था। इस बात से इंकार किया कि रामदयाल ने उसे बाद में लाठी से मारा था। रामलाल ने इस बात की जानकारी न होना व्यक्त किया कि आरोपीगण द्वारा रेखाबाई, रामवतीबाई, समन्दर एवं बबीताबाई को लाठी और फर्से से मारा था। इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने रिपोर्ट करने पर हमे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। घटना के समय अन्य कोई व्यक्ति नहीं था न ही किसी अन्य व्यक्ति ने झगडे में बीच बचाव किया था। इस बात को स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे इलाज के लिये अशोकनगर रैफर किया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्री.पी.1 का बी से बी पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। यह कहना सही है कि मै आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता हूँ। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

08— अभियोजन साक्षी रेखाबाई अ०सा०2, समन्दर अ०सा०3, रामित अ०सा०4, बबीता अ०सा०5 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानते हैं। घ ाटना दिनांक को रामलाल का आरोपीगण के साथ झगडा एवं गाली गलौच हो गई थी तथा झुमा झटकी में गिर जाने से उक्त साक्षीगण को चोटे आ गई थी, इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की।

09— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने

इस बात से इंकार किया कि रामलाल को आरोपी रामदयाल द्वारा फर्से से मारा था जिससे उसके कमर व सिर में चोट आई थी। साक्षी रेखा अ०सा02, समन्दर अ०सा03, रामवित अ०सा04, बबीता अ०सा05 को उनका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 3, 4, 7 व 5 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षीगण का कहना है कि ऐसा कथन उन्होंने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकते।

10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी रामलाल तथा आहत रेखाबाई, समन्दर, रामवित, बबीता द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की मे गिरने से उन्हें चोट आई थी। आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.07.2015 को समय रात 11 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ग्राम ललोई टांका स्थित लोक स्थल पर परिवादी/आहत रामलाल को फर्सा जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहित कारित की एवं अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत रामलाल को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत रामलाल को फर्सा जोिक एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः आरोपी रामदयाल, बाबूलाल, माधौसिह, खिलुआ के विरूद्ध धारा 324, 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 12- प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 13- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0